निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

(मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी–नैनीताल)।

संख्याः260 / स0क0 / रा0औ0आ0 / शिल्पीहाट–दु0आवं0 / 2022–23 दिनांक 27 अप्रैल, 2022

दुकानों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति।

राजकीय औद्योगिक आस्थान बरेली रोड़ हल्द्वानी–नैनीताल (शिल्पीहाट) में उत्तराखण्ड के स्थानीय शिल्प के विकास के लिये अनुसूचित जाति के उद्यमियों, जो परम्परागत शिल्पी का कार्य कर रहे हों, को उनके उद्यमों हेतु 22 (बाईस) दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक अनुसूचित जाति के शिल्पियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थी का चयन निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से लाटरी पद्धति के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन–पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 31.5..2022** निर्धारित की जाती है।

दुकान आवंटन हेतु विज्ञप्ति सहित आवेदन–पत्र का प्रारूप, विस्तृत शर्तें व शासनादेश विभागीय वेबसाइड www.socialwelfare.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं तथा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल अथवा निदेशालय सम्पर्क सूत्र संख्याः 05946–297051 से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी–नैनीताल स्थित शिल्पीहाट) में दुकानों के आवंटन हेतु नियम शर्तें/दिशा–निर्देश।

1. शिल्पीहाट में दुकानों का आवंटन हेतु पात्रता के लिये अभ्यर्थी उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिये। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का होना चाहिये, जिसकी आय रूपये 60000/–(रू. साठ हजार मात्र) से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी दक्ष शिल्पी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी में शेड अथवा प्लाट का आवंटी नहीं होना चाहिये। **(दक्ष शिल्पी से आशय परम्परागत हस्तशिल्प में विगत पांच वर्षों से कार्य करने का अनुभव रखने वाले शिल्पी से है)।**

2. शिल्पीहाट में दुकान आवंटन हेतु अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रकाशित होने पर अपने शिल्प पर आधारित वस्तुओं का उल्लेख कर आवेदन–पत्र ***परिशिष्ट–'क'*** पर निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र तथा आय प्रमाण–पत्र के साथ निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा।

3. दुकान का आवंटन हो जाने पर अभ्यर्थी को दुकान का कब्जा प्राप्त करने से पहले दस रूपये के नान–जुडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध–पत्र भरा जायेगा। जिसके नियम सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी– नैनीताल से प्राप्त किये जायेंगे। दुकान का आवंटन तीन वर्ष के लिये किया जायेगा। तत्पश्चात् पुनः आवंटन हेतु नये आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। पूर्व आवंटन, पुनः आवंटन हेतु अधिमानी नहीं होगा।

4. आवंटित दुकान में स्थानीय शिल्पियों द्वारा निर्मित सामग्री का ही क्रय–विक्रय किया जायेगा। किसी प्रकार की प्रतिबन्धित वस्तुओं के क्रय–विक्रय की सूचना मिलने पर दुकान का आवंटन तत्काल निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

5. दुकान का केवल आवंटन किया जायेगा स्वामित्व हस्तान्तरण नहीं। आवंटित दुकान में अपनी वस्तुओं का विपणन हेतु व्यवस्थित रखने के लिये रैक आदि की व्यवस्था आवंटी द्वारा स्वयं की जायेगी। दुकान में बिजली की फिटिंग, विद्युत व जल मूल्य तथा सफाई आदि के व्यय का वहन भी आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा। किसी प्रकार की ताड़फोड़/क्षति की भरपाई आवंटी द्वारा की जायेगी।

6. दुकान का मासिक किराया रू. 1000/–(एक हजार मात्र) होगा। मासिक किराया आवंटी द्वारा प्रतिमाह पहले सप्ताह में बिना विभागीय नोटिस के नियमित रूप से सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी–नैनीताल के कार्यालय में अग्रिम जमा किया जायेगा। किराया निर्धारित समय पर जमा न करने पर दुकान का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. निम्न में से किसी एक कारण होने पर दुकान का आवंटन निरस्त करने का अधिकार निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड को होगा–
   (1) समय से दुकान का किराया जमा न करने पर।
   (2) आवंटित दुकान को आवंटी द्वारा किसी अन्य को किराये पर देने पर।
   (3) किसी प्रकार के गैर–कानूनी वस्तु के विपणन/भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर।
   (4) आवंटन निरस्त करने के तुरन्त बाद दुकान खाली करनी होगी अन्यथा दुकान में रखा गया सामान जब्त कर लिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को दुकान आवंटन होने के साथ रूपये 5000/–(पांच हजार मात्र) की धनराशि जमानत के रूप में नकद ली जायेगी। जिसे आवंटी को दुकान में किसी तोड–फोड/क्षति न किये जाने की स्थिति में वापस कर दिया जायेगा।
9. दुकान का आवंटन किये जाने के एक माह के भीतर कब्जा सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी–नैनीताल से लिया जायेगा।

10. दुकान का संचालन करने से पूर्व रू. 1000/–(एक हजार मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिखित रूप से करार पत्र दिया जायेगा कि आवंटन के तीन वर्ष पूर्ण होने पर बिना विभागीय नोटिस के तुरन्त दुकान खाली कर दी जायेगी।

11. दुकान यदि निर्धारित समय से पूर्व खाली करनी हो तो उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस दिया जायेगा।

12. शिल्पी हाट स्थित दुकान में किसी प्रकार की मशीन जिससे प्रदूषण हो स्थापित नहीं की जायेगी।

13. दुकान में किसी प्रकार का कारखाना संचालित नहीं किया जायेगा अथवा आवास के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

14 शिल्पी हाट में दुकान लगातार बन्द रहने की स्थिति में दुकान अन्य आवंटी को आवंटित कर दी जायेगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

****

परिशिष्टि–"क"

शिल्पी हाट के अन्तर्गत निर्मित दुकान के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नामः .....
2. पिता/पति का नामः .....
3. स्थायी पताः .....

   .....
4. पत्राचार का पताः .....

   .....
5. जाति– .....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. व्यवसाय .....
7. शिल्प का विवरणः .....(दक्ष शिल्पी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. उत्तराखण्ड में निवास की अवधिः .....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. वार्षिक आयः .....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. आधार संख्या.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संलग्नकों का विवरणः

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांकः..... नामः .....

घोषणापत्र

मैं,.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना सही है तथा मैंने समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा शिल्पी हाट के सम्बन्ध में जो नियम बनाए गए हैं उनके उल्लघंन पर मेरी दुकान का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाए।

दिनांकः..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

दूरभाष/मोबाइल नम्बर.....

संख्या–757/XVII-1/2009-11(15)/2004

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 10 अगस्त 2009.

विषय :स्थानीय शिल्प के विकास हेतु शिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन हेतु अनुसूचित जाति शिल्पी हाट में दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के परम्परागत शिल्पों के विकास हेतु अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल में निर्मित शिल्पी हाट में दुकानों के आवंटन एवं शिल्पी हाट के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर शिल्पी हाट में दुकानों का आवंटन कर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

2. शिल्पी हाट का निर्माण पूरे प्रदेश के शिल्पियों के लिए किया गया है। अतः शिल्पी हाट में दुकान निर्माण हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा दो ऐसे दैनिक समाचारपत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके विज्ञप्ति के आधार पर प्रदेश के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।

3. उपरोक्तानुसार प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदनपत्रों में से अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद–चम्पावत के एक तथा शेष बारह जनपदों के दो–दो व्यक्तियों को दुकान आवंटन निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से लाटरी पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। किन्तु किसी जनपद से आवेदनपत्र प्राप्त न होने की दशा में जिस जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक होगी को अतिरिक्त आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा–

(1) निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड —अध्यक्ष,
(2) शासन द्वारा नामित अधिकारी —सदस्य,
(3) उद्योग विभाग का श्रेणी–'ख' का अधिकारी —सदस्य.

क्रमशः पृष्ठ–02 पर...

4. शिल्पी हाट में दुकानों का आवंटन हेतु पात्रता के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय रूपये 60,000 से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी दक्ष शिल्पी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र ग्राम प्रधान अथवा पटवारी की संस्तुति के आधार पर भी जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी में शेड अथवा प्लाट आवंटी नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : दक्ष शिल्पी से आशय परम्परागत हस्तशिल्प में विगत पांच वर्षों से कार्य का अनुभव रखने वाले शिल्पी से है।

5. शिल्पी हाट में दुकान आवंटन हेतु अभ्यर्थी को निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड के स्तर से समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित होने पर अपने शिल्प पर आधारित वस्तुओं का उल्लेख कर आवेदनपत्र *परिशिष्ट–क* पर निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र तथा आय प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा।

6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड के द्वारा जिन अभ्यर्थियों को दुकान का आवंटन किया जाएगा। उनके द्वारा दुकान का कब्जा प्राप्त करने से पहले बस रुपये के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्धपत्र भरा जाएगा। जिसके नियम सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल से प्राप्त किये जाएंगे। दुकान का आवंटन तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात् पुनः आंबटन हेतु नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पूर्व आवंटन, पुनः आवंटन हेतु अधिमानी नहीं होगा।

7. आवंटित दुकान में स्थानीय शिल्पियों द्वारा निर्मित सामग्री का ही क्रय–विक्रय किया जाएगा। किसी प्रकार की प्रतिबन्धित वस्तुओं के क्रय–विक्रय की सूचना मिलने पर दुकान का आवंटन तत्काल निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

8. दुकान का केवल आवंटन किया जाएगा स्वामित्व हस्तान्तरण नहीं। आवंटित दुकान में अपनी वस्तुओं को विपणन हेतु व्यवस्थित रखने के लिए रैक आदि की व्यवस्था आवंटी द्वारा स्वयं की जाएगी। दुकान में विद्युत, जल, सफाई आदि के व्यय का वहन भी आवंटी द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार की तोड़फोड़/क्षति की भरपाई आवंटी द्वारा की जाएगी।

9. दुकान का मासिक किराया रुपये 1,000 (रूपये एक हजार मात्र) होगा। मासिक किराया आवंटी द्वारा प्रतिमाह सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल के कार्यालय में अग्रिम जमा किया जाएगा। किराया निर्धारित समय पर जमा न करने पर दुकान का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल से प्राप्त किराए की धनराशि को निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा मासिक रूप से कोषागार में जमा किया जाएगा।

10. निम्न में से किसी प्रकार एक कारण के होने पर दुकान का आवंटन निरस्त करने का अधिकार निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को होगा–

(1) समय से दुकान का किराया जमा न करने पर।

क्रमशः पृष्ठ–03 पर...

(2) आंबटित दुकान को आवंटी द्वारा किसी अन्य को किराए पर देने पर।

(3) किसी प्रकार के गैर–कानूनी वस्तु के विपणन/भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर।

(4) आवंटन निरस्त करने के तुरन्त बाद दुकान खाली करनी होगी अन्यथा दुकान में रखा गया सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।

11. अभ्यर्थी को दुकान आवंटन होने के साथ रूपये 5,000 (रूपये पांच हजार मात्र) की धनराशि जमानत के रुप में नकद ली जाएगी। जिसे आवंटी को दुकान में किसी तोड़फोड़/क्षति न किये जाने की स्थिति में वापस कर दिया जाएगा।

12. शिल्पी हाट में निर्मित दुकानों के किराए की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा मासिक रूप से राजकोष में जमा की जाएगी। शिल्पी हाट की वार्षिक मरम्मत/रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार शासन द्वारा धनराशि पृथक से अवमुक्त की जाएगी।

13. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर शिल्पी हाट का संचालन तत्काल प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

~~14. [illegible] आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।~~

संलग्नक : आवेदनपत्र एवं नियम.

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– (1)/XVII-1/2009-11(15)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।

क्रमशः पृष्ठ-04 पर...

परिशिष्ट– 'क'

शिल्पी हाट के अर्न्तगत निर्मित दुकान के आवंटन हेतु आवेदनपत्र

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. स्थायी पता : .....
   .....
4. पत्राचार का पता : .....
   .....
5. जाति : ..... (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
6. व्यवसाय : .....
7. शिल्प का विवरण : ..... (दक्ष शिल्पी का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
8. उत्तराखण्ड में निवास की अवधि : ..... (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
9. वार्षिक आय : ..... (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

संलग्नकों का विवरण :

दिनांक : ..... आवेदक के हस्ताक्षर .....

घोषणापत्र

मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है तथा मैंने समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा शिल्पी हाट के सम्बन्ध में जो नियम बनाए गए हैं उनके उल्लंघन पर मेरी दुकान का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाए।

दिनांक : ..... आवेदक के हस्ताक्षर .....

क्रमशः पृष्ठ-05 पर...

शिल्पी हाट, बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल में आवंटन हेतु आवंटी को सूचित करने वाले नियम

1. शिल्पी हाट में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा आवंटन किए जाने के एक माह के भीतर कब्जा सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान, बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल से लिया जाएगा।

2. दुकान पर कब्जा प्राप्त करने से पूर्व रुपये 1,000 के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पर लिखित रुप से करारपत्र दिया जाएगा कि आवंटन के एक वर्ष पूर्ण होने पर बिना विभागीय नोटिस के तुरन्त दुकान खाली कर दी जाएगी।

3. दुकान यदि निर्धारित अवधि से पूर्व खाली करनी हो तो उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

4. दुकान में बिजली की फिटिंग, बिजली व जल मूल्य तथा सफाई का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

5. आवंटित दुकान का किराया प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में बिना विभागीय नोटिस के नियमित रुप से सहायक प्रबन्धक, राजकीय औद्योगिक आस्थान, बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

6. शिल्पी हाट स्थित दुकान में किसी प्रकार की मशीन जिससे प्रदूषण हो स्थापित नहीं की जाएगी।

7. शिल्पी हाट की दुकान में किसी प्रकार का कारखाना संचालित नहीं किया जाएगा अथवा आवास के रुप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

8. शिल्पी हाट की दुकान में किसी प्रकार की गैर कानूनी वस्तु का भण्डारण/विपणन नही किया जाएगा। ऐसा करने पर तत्काल आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

9. शिल्पी हाट में दुकान लगातार बन्द रहने की स्थिति मे दुकान अन्य आवंटी को आवंटित कर दी जाएगी तथा धरोहर की राशि जब्त कर ली जाएगी।

****